



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 596 राँची, गुरुवार,

19 सितम्बर, 2024 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

13 सितम्बर, 2024

अधि.सं.-परि.वि.-174/09-1216--भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक सह-पठित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 (अद्यतन यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024

1. नाम, विस्तार और प्रारंभ:-

- यह नियमावली "झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024" कही जाएगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- यह झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 (अद्यतन यथा संशोधित) को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

(क) झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 (अद्यतन यथा संशोधित) के भाग-4 के नियम-18 के प्रावधान को निम्नवत् प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

वर्तमान प्रावधान	प्रतिस्थापन
नियम-18 प्रोन्नति की प्रक्रिया:- (क) मोटरयान निरीक्षक कोटि पद से वरीय मोटरयान निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुशंसा निम्न रूप से गठित समिति द्वारा की जाएगी। - राज्य परिवहन आयुक्त - अध्यक्ष - परिवहन विभाग के उप सचिव के अन्यून पंक्ति के एक अधिकारी - सदस्य - संयुक्त परिवहन आयुक्त - सदस्य - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा- विभाग द्वारा मनोनित एक पदाधिकारी - सदस्य - वित्त विभाग - सदस्य (ख) वरीय मोटरयान निरीक्षक के पद से जिला परिवहन पदाधिकारी (बेसिक ग्रेड) के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुशंसा करने के लिए समिति का गठन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-5161, दिनांक-25 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाएगा।	नियम-18 प्रोन्नति की प्रक्रिया:- मोटरयान निरीक्षक के पद से जिला परिवहन पदाधिकारी (तकनीकी संवर्ग) एवं जिला परिवहन पदाधिकारी (तकनीकी संवर्ग) से उप परिवहन आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुशंसा करने के निमित्त विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न रूप में होगी। - सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड। - अध्यक्ष - अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड। - सदस्य - अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड। - सदस्य - अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड। - सदस्य - संयुक्त सचिव/उप सचिव, परिवहन विभाग झारखण्ड। - सदस्य-सचिव - कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत SC/ST के पदाधिकारी - सदस्य

3. झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 (अद्यतन यथासंशोधित) के शेष नियम यथावत रहेंगे।

4. उपरोक्त प्रस्ताव पर विभागीय संलेख जापांक-1088, दिनांक-06.08.2024 के माध्यम से मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-06.09.2024 (मद संख्या-19) द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव
परिवहन विभाग।
